

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2013—माघ 12, शक 1934

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |                            |                               |                                 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                 |

#### भाग ४ (क)—कुछ नहीं

#### भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

#### भाग ४ (ग)

#### अन्तिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्र. सी.3-14-2012-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 में, विद्यमान उपनियम (2-क) (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“ (3) प्रत्येक शासकीय सेवक जंगम संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा या तो उसके स्वयं के नाम से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आपको आबद्ध किए गए प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि ऐसी

संपत्ति का मूल्य, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के दो माह के मूल वेतन से अधिक हो :

परन्तु शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जाएगी, यदि कोई ऐसा लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है.”.

No. C-3-14-2012-I-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 19, for the existing sub-rule (2-A) (3) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) Every Government servant shall report to the prescribed authority every transaction entered into by him either in his own name or in the name of a member of his family in respect of movable property, if the value of such property exceeds two months basic pay of the Government servant, who holds any post of class I, class II, class III or class IV :

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government Servant, if any, such transaction is with a person having official dealings with him.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

### खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. एफ. 19-02-2012-बारह-1.—मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(2) खनि राजस्व का संग्रहण राज्य की संचित निधि से निम्नलिखित राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अधीन जमा किया जायेगा :—

“मुख्य शीर्ष (मेजर हेड)—0035—कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर, लघु शीर्ष (माइनर हेड) 101—साधारण संग्रहण, 1021—ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर से संबंधित राशि”.

No. F-19-02-2012-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Gramin Avsanrachna Tatha Sadak Vikas Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Gramin Avsanrachna Tatha Sadak Vikas Niyam, 2005, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rule, in rule 14, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

(2) The collection of the mining revenue shall be credited to the Consolidated Fund of the State under the following Revenue Receipts head:—

“Major head-0035-Taxes on Immovable Property other than Agricultural Land Minor head-101-Ordinary Collections., 1021-Receipt related to Rural Infrastructure and Road Development Tax.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेन्द्र शर्मा, अपर सचिव.